342

संख्याः — /XXIV(6)/2014/32(4)12

प्रेषक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 28 जुलाई, 2014

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्य आय–व्ययक के आयोजनागत (Plan) पक्ष की मानक मद संख्या–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून के पत्र संख्याः 74/94/2/FC-DU/2014 दिनांकः 9.6.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमे मानक मद संख्या–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद मे रु 250.00 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में दून विश्वविद्यालय, देहरादून हेतु आयोजागत (Plan) पक्ष की मानक मद संख्या–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में अवचनबद्ध मदों हेतु **प्राविधानित धनराशि 250.00 लाख मे से वर्तमान में प्रथम किश्त के रूप में रु. 2,00,00,000/–(दो करोड मात्र)** वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 318/xxvii(1)/2014 दिनांकः 18.3.2014 में वर्णित व्यवस्थानुसार स्वीकृत करते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों अधीन आपके निर्वतन मे रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाएगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जाएगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाएगा।

(i) इस अनुदान का उपयोग वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–699/XXVII(1)2013 दिनांकः11.10.2013 के संलग्नक मे उल्लिखित अनुमोदित मानक मदों हेतु किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि काव्यय केवल अनुमन्य मदों हेतु किया जाय।

(ii) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। उक्त धनराशि उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगें।

(iii) उक्त योजना/मद में चालू वित्तीय वर्ष में यदि पूर्व में कोई धनराशि अवमुक्त की गई हो तो उस धनराशि को इस मद में समायोजित कर लिया जायेगा तथा प्राविधानित धनराशि से अधिक धनराशि किसी भी दशा मे आहरित/व्यय नहीं किया जाएगा।

(iv) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 515/xxvii(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में विहित शर्तो के साथ साथ शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।

(ii) अवचनबद्ध मदो के संबंध मे प्रत्येक दशा में मितव्ययता का प्रत्येक दशा मे विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष के प्रारम्भ मे ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना

D: P.K/Doc/ G.O lett.

बना ली जाएगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाएगी।

(v) बजट नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष मे बजट प्राविधान, अवमुक्त धनाराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 एवं बजट निदेशालय को प्रषित किया जाय।

(vi) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008**, डी0जी0 एस0 एण्ड डी0 की दर तथा यह दर निश्चित न होने पर टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन, 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाएगा।

(vii) स्वीकृत धनराशि से क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा। कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग/नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 86(P)/XXVII(3)/2014–15 दिनांक:22 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से तथा विशिष्ट अलॉटमेट आई0डी0 संख्या–H1407111744 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के मुख्य आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–05–दून विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठाकन संख्या: 904 (1)/XXIV(6)/2014/32(4)12 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एव वित्त सेंवाएं, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव ।

D: P.K/Doc/G.O lett.